न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या 12/67/2022 रजि0 नं0 2022/116 प्रवेश तिथि 19.12.2022

अपीलार्थीः– श्री प्रताप सिंह एडवोकेट कोर्ट कैम्पस बहरोड जिला अलवर।

प्रत्यर्थीः– राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::– –19.01..2023

1–अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना को आवेदन पत्र दिनांक 03.11.2022 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2–अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3–अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना से जरिये नोटिस क्रमांक 1037 दिनाक 20.12.2022 से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 28.12.2022 को उपस्थित आवें।

4–अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना से अपील का बिन्दुवार जवाब प्राप्त नही होने पर पुनः स्मरण पत्र क्रमांक 7 दिनाक 09.01. 2023 जारी किया गया। किन्तु अपेक्षित पालना रिपोर्ट प्राप्त नही हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना के द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कर पालना नही की गयी है। जिसके फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

5–राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कर पालना नही की गयी है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। यदि सूचना देयता की श्रेणी में आती है, तो अपेक्षित सूचनाएं 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) (राज0)